एमएमटीसी लिमिटेड : कॉरपोरेट कार्यालय : नई दिल्ली

सतर्कता प्रभाग

सं. 10/212/21-सतर्कता/440 **दिनांक: 14.09.2021**

परिपत्र

विषय: 26 अक्टूबर 2021 से 1 नवंबर, 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह का अनुपालन

सतर्कता प्रभाग को 26 अक्टूबर 2021 से 1 नवंबर, 2021 तक **"भारत की स्वतन्त्रता के 75वें वर्ष"** विषय के साथ सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 (वीएडब्ल्यू-2021) के अनुपालन के लिए सीवीसी का परिपत्र संख्या 15/09/2021 दिनांक 01.09.2021 प्राप्त हुआ है। **सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता; "सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता के मुद्दे पर"** सीवीसी ने सीपीएसई सहित सभी संगठनों को उनके कार्यालय में सतर्कता के मुद्दों पर जागरूकता पैदा करने और भ्रष्टाचार को खत्म करने तथा ईमानदारी के साथ आत्मनिर्भरता हासिल करने एवं इससे जुड़े उद्देश्यों के लिए आगे बढ़कर सतर्कता जागरूकता से जुड़ी गतिविधियों का संचालन करने के लिए कहा गया है।

(ए) सीवीसी परिपत्र के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय/उप क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निम्नलिखित गतिविधियां की जानी हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया है:

i) सतर्कता जागरूकता सप्ताह की शुरुआत एमएमटीसी के सभी संबंधित कार्यालयों में कर्मचारियों द्वारा सत्यनिष्ठा की शपथ लेने के साथ होगी। क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय प्रमुख द्वारा सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा(**अनुलग्नक 1**) 26 **अक्टूबर, 2021** को **11.00** बजे दिलाई जायेगी।

ii) सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 से संबंधित गतिविधियों का संचालन करते समय कार्यालयों के भीतर और बाहर, सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए **कोविड-19 प्रोटोकॉल/रोकथाम दिशा-निर्देशों** का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

iii) वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 7(2)ई. समन्वय/2020 दिनांक 04.09.2020 के तहत जारी आर्थिक उपाय का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

iv) वि.ए.डब्ल्यू.-2021, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की गतिविधियों का संचालन करते समय कर्मचारियों/परिवारों/जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए बड़ी संख्या में एसएमएस/ ई-मेल, व्हाट्सएप आदि का व्यापक रूप से उपयोग किया जा सकता है।

(बी) सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2020 के दौरान की गई गतिविधियों को जारी रखते हुए आयोग चाहता है कि सभी संगठन आंतरिक (गृह व्यवस्था) गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखें। तदनुसार, क्षे.का./उप क्षे.का. सितंबर और अक्टूबर 2021 के दौरान लंबित गतिविधियों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने के लिए कार्रवाई करेंगे एवं सितंबर तथा अक्टूबर के दौरान की गई प्रगति पिछले एक वर्ष के दौरान हासिल की गई प्रगति रिपोर्ट 2021 को निर्धारित संलग्न **(अनुलग्नक-2)** प्रारूप में प्रस्तुत करेंगे। क्षे.का. को अपने संबंधित उप क्षेत्रीय कार्यालय की प्रगति रिपोर्ट अपने सतर्कता अधिकारियों को प्रस्तुत करनी चाहिए। इसके बाद सतर्कता अधिकारी पुष्टि के लिए आगे सतर्कता प्रभाग, कार्पोरेट कार्यालय को आगे प्रेषित करेगा। का.का. के सतर्कता प्रभाग को प्रगति रिपोर्ट 3 नवंबर, 2021 तक पहुंच जानी चाहिए ताकि सतर्कता प्रभाग मुख्य सतर्कता अधिकारी को समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत कर सके।

(i) आवासों/क्वार्टरों का आवंटन एवं संबंधित मुद्दे

ए) क्या क्षेत्रीय कार्यालय मकानों के आवंटन के लिए आईटी एप्लीकेशन का उपयोग करता है?

बी) क्या आवास आवंटन निर्धारित नीति के अनुसार किया जा रहा है?

सी) क्या मकानों पर कोई अवैध कब्जा है, यदि कोई है तो क्या कार्रवाई की जा रही है?

डी) कोई और मुद्दा ?

(ii) संगठन में आउटसोर्स सेवाओं में काम करने वाले व्यक्तियों को भुगतान और अन्य लाभ

ए) क्या ठेकेदार द्वारा वेतन/मजदूरी का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है?

बी) क्या अन्य वैधानिक बकाया (पीएफ, चिकित्सा लाभ आदि) समय पर दिए जा रहे हैं?

सी) क्या अनुबंध की शर्तों के अनुसार आउटसोर्स किए गए व्यक्तियों को देय मजदूरी का भुगतान किया जाता है और प्रबंधन द्वारा इसकी जांच की जा रही है ?

डी) क्या विक्रेता संगठन द्वारा निर्धारित मानदंडों का पालन किया जा हैं ?

(iii) **लैंगिक संवेदीकरण के मुद्दे**

(ए) क्या कामकाजी महिलाओं के उत्पीड़न की रोकथाम के लिए आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया था, आईसीसी द्वारा आयोजित अंतिम बैठक का उल्लेख करें।

(बी) स्थानीय आईसीसी में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत।

(सी) क्या लैंगिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा की जा रही है।

(सी) क्षे.का./उप क्षे.का. के अधिकारियों को वेबसाइट पर जाकर ई-प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑनलाइन "सत्यनिष्ठा की प्रतिज्ञा" सीवीसी की वेबसाइट (www.cvc.gov.in) पर उपलब्ध है और इसे सभी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। अधिकारियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे अपने परिवार के सदस्यों के बीच भी ई- सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा को बढ़ावा दें।

(डी) कर्मचारियों के बीच " **पीआईडीपीआई (जनहित प्रकटीकरण और सूचनादाता की सुरक्षा) के तहत शिकायतें** " के बारे में जागरूकता फैलाने और अभियान चलाने का प्रयास किया जाना चाहिए। इसके अलावा, पीआईडीपीआई शिकायतों पर सीवीसी द्वारा प्रदान किए गए दो पोस्टर(**अनुलग्नक-3**) पीआईडीपीआई शिकायतों से संबंधित प्रावधानों पर जागरूकता फैलाने के लिए प्रमुख स्थानों पर एक साथ प्रदर्शित किए जा सकते हैं।

(इ) उनव्यक्तियों(विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/खरीदारों/ठेकेदारों/आउटसोर्स कर्मचारियों/हितधारकों आदि) के साथ ई-सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा की अवधारणा को कर्मचारियों के परिवारों के बीच भी बढ़ावा देना, जिनके साथ एमएमटीसी का व्यवसाय/ प्रशासनिक संपर्क रहता है।

(एफ) भ्रष्टाचार विरोधी संदेशों के बारे में जागरूकता फैलाने और सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2021 की थीम से संबंधित अन्य गतिविधियों की सत्यनिष्ठा और उन गतिविधियों के प्रति आत्मनिर्भरता की आवश्यकता पर जोर देने के लिए व्हाट्सएप, बल्क ई-मेल / एसएमएस, ट्विटर, फेसबुक आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करें।

(जी) सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2021 के बैनर और पोस्टर/कोटेशन कार्यालय में प्रमुख स्थानों पर उपयुक्त रूप से प्रदर्शित किए जाएं।

2. क्षेत्रीय प्रमुखों/प्रभारी को उप क्षेत्रीय कार्यालयों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2021 से संबंधित गतिविधियों को उचित

तरीके से संचालित किया जाता है और "सतर्कता जागरूकता सप्ताह" को सफलतापूर्वक आयोजित करने में सतर्कता अधिकारियों को पूर्ण समर्थन / सहयोग प्रदान करते हैं।

3. आयोजन की तस्वीरें केवल डिजिटल मोड में लेनी और अग्रेषित की जानी हैं। इस उद्देश्य हेतु कोई प्रत्यक्ष प्रिंटआउट नहीं लिया जायेगा।

4. अपने उप क्षे.का. सहित सभी क्षे.का. के सतर्कता अधिकारी को सतर्कता जागरूकता सप्ताह -2021 के पालन के लिए उनके द्वारा की जाने वाली कार्रवाइयों के बारे में शेड्यूल तैयार करना होगा और सतर्कता जागरूकता सप्ताह शुरू होने से पहले का.का./सतर्कता को इसकी सूचना देनी होगी। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 के पालन के बाद एक समेकित रिपोर्ट का.का./सतर्कता प्रभाग को ई-मेल के माध्यम से ही vsnrao@mmtclimited.com को एक प्रति के साथ rohitjonwal@mmtclimited.com और vipinsahdev@mmtclimited.com को सतर्कता जागरूकता सप्ताह-2021 से संबंधित विभिन्न आयोजनों के डिजिटल रूप में फोटो को दिनवार एवं घटनावार व्यवस्थित किया जाना चाहिए तथा सीवीसी को आगे प्रस्तुत करने हेतु सतर्कता प्रभाग को 3 नवंबर, 2021 तक केवल ई-मेल के माध्यम से भेजा जाना चाहिए।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(वीएसएन राव)
महाप्रबंधक (वि.)

प्रति:

1. **सीएमडी के कार्यकारी सचिव**
2. **सभी निदेशकों के निजी सचिव**
3. **मुख्य सतर्कता अधिकारी**
4. **सीओ/आरओ/एसआरओ के सभी मुख्य महाप्रबंधक**
5. **महाप्रबंधक (सिस्टम्स) - इंट्रानेट पर डालने हेतु**